न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री अनिल कुमार (आर.ए.एस. यू.टी.)

अ.प. संख्या 275/2008

1. गोविन्दसिंह
2. रामसिंह

पुत्रगण रिद्वसिंह जाति राजपूत निवासीगण खखोली तहसील धोद जिला सीकर

– प्रार्थीगण –

बनाम

गुमान कंवर बेवा छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खाखोली
मानकंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी सेवा
अर्जुन सिंह पुत्र जोध सिंह
गिरधारी सिंह दत्तक श्पुत्र नारायण सिंह
सुप्यार कंवर बेवा नारायण सिंह (फौत)
समस्त जाति राजपूत निवासी खाखोली तहसील धोद जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री सोहनलाल
वकील अप्रार्थीगण – श्री प्रभातीलाल

निर्णय

दिनांक – 15.01.2020

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खाखोली तहसील धोद की तन में खसरा नम्बर 233 रकबा 0.17 है0, 379 रकबा 2.18 है0 एवं 411 रकबा 194 है0 अवस्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1व 3 के खाते कब्जे काश्त की संयुक्त पैतृक सम्पति है । उक्त भूमियां पूर्व में देवीसिंह के खाते कब्जे काश्त की थी उसकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान के रूप में खातेदारी जोधसिंह के अकेले के नाम से दर्ज हो गई तथा उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1व 3 के नाम सम्पूर्ण दर्ज हो गई । प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से दर्ज नहीं हुआ। उक्त भूमियों में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा होने केबावजूद भी गलत खातेदारी की आडत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी सख्या 2,4, व 5 के पक्ष में दो विक्रय पत्र तहरीर करवा दिये जो कानूनी प्रावधानों की आड़ में व विपरीत खातेदारी की आड़ में तहरीर होने के कारण कानूनन खारिज होने योग्य हैं। अप्रार्थी

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

संख्या 1 ता 5 गलत खातेदारी की आड़ में विवादित भूमियों को किसी दिगर व्यक्तियों को हस्तान्तरित करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण की कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही उनका कोई हिस्सा है। देवी सिंह के खाते कब्जे काश्त की पैतृक सम्पती नहीं थी ना ही उसकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण अकेले जोधसिंह के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थी ने इस कृषि भूमियों के सबंध में पूर्व में भी आवेदन पेश किया था जो वर्ष 2004 में खारिज हो गया । उसके पश्चात पुनः पेश किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य है। स्व0 जोध सिंह को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत पुराना कब्जा के आधार पर कृषि भूमियां बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्राप्त हुई थी जिसका नामा0 संख्या 68 दिनांक 1.7. 1963 को स्वीकृत हुआ था। उक्त नामा0 के विरूद्व भी प्रार्थीगण की माता ने अपील संख्या 58/2007 बउनवानी रतनकंवर आदि बनाम अर्जुन सिंह आदि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो दिनांक 26.10.2009 को निर्णय कर खारिज की जा चुकी है। जिसकी अपील नहीं की गई है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। प्रार्थीगण के बंटवारे में कोई 1/2 हिस्सा नहीं आया है बल्कि सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के कबजा अधिकारी की खातेदारी भूमि रही है। जिसमें से उन्होने भूमि विक्रय की है तथा कब्जा भी सम्भला दिया है। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार नहीं है। पूर्व में भी वाद संख्या 19/2002 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 4.6.2004 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो गया जिसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नया वाद प्रस्तुत कर दिया गया । अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन व जवाब आवेदन रही। हमने बहस पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2062 से 65 में ग्राम खाखोली के खसरा नम्बर 233 रकबा 0.17 है0 व 379 रकबा 2.18 है0 की खातेदारी अजुर्नसिंह पुत्र जोधसिंह हि0 1/2 व गुमानकंवर बेवा छोटूसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 411 रकबा 1.94 है0 की खातेदारी अजुर्नसिंह पुत्र जोधसिंह हि0 1/2, गिरधारी सिंह दत्तक पुत्र नारायणसिंह, सुप्यारकंवर बेवा नारायण सिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 233 गत

कलेक्टर (द्वितीय)

खसरानम्बर 234 से, 379 गत खसरा नम्बर 273 से व 411 गत खसरा नम्बर 304 से बनना प्रमाणित है। जमाबंदी सम्वत 2014 से 17 में गत खसरा नम्बर 234 में भूमि अधिकारी के कालम में देवीसिंह वल्द यशवन्त सिंह दर्ज है नाम कृषक के कालम में देवीसिंह तथा बकाश्त जोधसिंह वल्द देवीसिंह जाति राजपूत सा.देह दर्ज है। सम्वत 2018–21 में खसरा नम्बर गत 234 273 व 304 में में देवी सिंह वल्द भगवाना जाति राजपूत सा. देह बकाश्त जोधसिंह वल्द देवीसिंह दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 14 में ,ख.नं. 234 में देवीसिंह खुदकाश्त व 235 में जोधसिंह खुद काश्त दर्ज है। 273 में देवीसिंह खुदकाश्त दर्ज है एवं खसरा नम्बर 304 में भी देवीसिंह खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम से रही है। अप्रार्थीगण का कथन है कि जोध सिंह को खातेदारी धारा 19 के तहत प्राप्त हुई है। जो कि नामा0 संख्या 68 से प्रमाणित है। उक्त नामा0 की अपील रिद्व सिंह की पत्नी रतनकंवर द्वारा किया जाना प्रमाणित है। परन्तु उक्त अपील माननीय न्यायालय जिलाधीश सीकर द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है। जिसमें न्यायालय द्वारा स्वंय यह अभिमत दिया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रासिंडिग है जिसमें अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी का कथन यह भी है कि इस निर्णय को आगे चुनौती नहीं दी गई। इस कथन का खण्डन वकील प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। दुसरा कथन यह है कि प्रार्थीगण की माता रतनकंवन द्वारा एक दावा 19/2002 प्रस्तुत किया गया था जो अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। जिसको पुनः नम्बर पर नहीं ले कर दुसरा दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण वकील वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर हितबद्व पक्षकार को उसी को पुनः नम्बर पर लेने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने अथवा दुसरा दावा प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी लगातार सम्वत 2011 से 33 तक प्रमाणित है। पक्षकारान के हक अधिकार मूल दावा में अंतिम निर्णय से तय किये जाने है। तब तक यदि पक्षकारान द्वारा भूमियों को अन्य हस्तान्तरित किया जाता है तो वाद बाहुलता बढेगी। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है।

2. **सुविधा का संतुलन** – प्रार्थी की खातेदारी पूर्वजों के समय से प्रमाणित होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।

3. **अपूरणिय क्षति** – उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. बाबत विवादित भूमि ग्राम खाखोली तहसील धोद जिला सीकर के खसरा नम्बर 233

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

रकबा 0.17 है0, 379 रकबा 2.18 है0 एवं 411 रकबा 194 है0 का स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात पर तादौराने वाद रिकार्ड व मौके की यथस्थिति बनाये रखें।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर